राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001; Ph. No. 01572-274094; email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( ) भण्डार/उवसंसी/2025–26/3040 दिनांक : 18-2-26

बोली आंमत्रण सूचना सं. 129/2025–26

भारतीय चार्टेड अकाउण्टेंट संस्थान में पंजीकृत चार्टेड अकाउण्टेंट/फर्मों को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल के अधीनस्थ कार्यरत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य करवाया जाना है। जिसके लिए शीलबन्द लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.02.2026 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 27.02.2026 दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर से क्रय किये जा सकते है, समस्त दस्तावेज दिनांक 27.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने होंगे। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क.सं.	कार्य का विवरण	ग्रा.व.सु.स. की संख्या	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क(रूपये में)
1	ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य	106 समिति	2.65 लाख	5,300/–	500/–

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा के विस्तृत नियम शर्तें एवं माल/सेवा से संबंधित मात्रा/संख्या एवं विशिष्टयां आदि निविदा प्रपत्र में अंकित है।

उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांक : एफ ( ) भण्डार/उवसंसी/2025–26/3041-50 दिनांक : 18-2-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक वन संरक्षक, सीकर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर/लक्ष्मणगढ़/फतेहपुर/नीमकाथाना/पाटन/श्रीमाधोपुर/ दांता।
3. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को वास्ते sppp पोर्टल पर अपलोड हेतु।
4. सूचना पट्ट कार्यालय हाजा/समस्त रेंज।

उप वन संरक्षक,
सीकर

उप वन संरक्षक
सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

"ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य"

"निविदा प्रारूप" (तकनीकी प्रस्ताव)

1. निविदा सूचना :– निविदा सूचना संख्या 129/2025–26
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता मय दूरभाष नं. एवं ई–मेल आईडी सहित ....
3. जिसके लिये निविदा प्राप्त की जानी है, उसका विवरण :– ....
4. किसको संबोधित किया गया :– उप वन संरक्षक, सीकर।
5. निविदा शुल्क की राशि 500/– जमा कराने का विवरण रसीद संख्या ....दिनांक ..../डी.डी. नं. /चालान .... दिनांक .... के द्वारा जमा करवाई गई।
6. संवेदक का निविदा लागत का 2 प्रतिशत अमानत राशि 5300/– रूपये का डी.डी. नम्बर/चालान................................दिनांक ... .राशि................................ संलग्न है।
7. कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर के अधीनस्थ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य आवश्यकतानुसार निर्धारित समय में कर दिया जायेगा।
8. निविदा के साथ नवीनतम **GST** रिटर्न माह 12/2025 तक का 3बी संलग्न है।
9. उपरोक्त निविदा सूचना जो उप वन संरक्षक, सीकर द्वारा जारी की गई है, में वर्णित सभी शर्तें तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किय जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. निविदा प्रपत्र के साथ वित्तीय बिड में कार्य की दरे अंकों एवं शब्दों में अंकित कर दी गई है।
11. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से दी गई अवधि के भीतर विभाग के कार्यादेश अनुसार लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य कर दिया जावेगा।
12. ऊपर वर्णित की गयी दरे 31.03.2026 तक के लिए विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
13. फर्म का GST, टिन नं. एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न है।
14. फर्म को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नही डाले जाने के संबंध में फर्म/ठेकेदार के लेटर पैड पर घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न है।
    पत्र निविदा के साथ संलग्न है।
15. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य संबंधित रेंज मुख्यालय पर कर दिया जाएगा।
16. यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।
17. मैं/हम उप वन संरक्षक, सीकर द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना कमांक 129/2025–26 में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

यदि तकनिकी बिड के पश्चात हमारी वित्तीय बिड में दरे अनुमोदित होने के साथ हम संलग्न शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी दिशा–निर्देशों व आदेशों से भी सहमति व्यक्त करते है, जो हमें समय–समय पर विभाग से प्राप्त होगें।

उपरोक्त तकनिकी बिड हमने पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रस्तुत की है। किसी भी सूचना के असत्य अथवा गलत साबित होने पर हम सामुहिक और वैक्तिक जिम्मेदारी लेते है, तथा हमारी प्रतिभूति को **समर्पित/अपहृत** का अधिकार देते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....
फर्म का पूर्ण पता ....
मोबाइल नम्बर ....

उप वन संरक्षक
सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

निविदा सूचना संख्या 129/2025–26 ''ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य'' के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तेः–

नोटः–निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इन्हे मान्य करना होगा। तकनिकी बिड में आवश्यक दस्तावेज संलग्न पाये जाने पर ही वित्तीय बिड हेतु पात्र होगें।

1. निविदा प्रपत्र उप वन संरक्षक कार्यालय से क्रय करना होगा एवं क्रय का विवरण जी.ए. 55 रसीद/डी.डी. /चालान निविदा के साथ संलग्न करना होगा। यदि निविदा प्रपत्र SPPP पोर्टल से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा शुल्क राशि 500 रूपये का डी.डी./नगद/चालान से कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर में जमा करवाना होगा। निविदा शुल्क, अमानत राशि निम्न बजट मद में एक ही चालान से ई–ग्रास पर जमा करवाकर ई–ग्रास चालान की प्रति निविदा दस्तावेजो के साथ लगाना होगा, Office ID – 4670 – Sikar – DCF, Sikar
   1. निविदा शुल्क – 0075–00–800–52–01
   2. धरोहर राशि–8443–00–109–00–00 (वन विभाग)
2. **निविदादाता को निविदा में समस्त दस्तावेज यथा– निविदा शुल्क का जी.ए. 55 रसीद /डी.डी. एवं 2 प्रतिशत अमानत राशि 5,300/–रूपये का डी.डी. जो उप वन संरक्षक, सीकर के नाम देय हो एवं अन्य दस्तावेज यथा जी.एस.टी. रिटर्न 3बी, काली सूची में नहीं डाले जाने का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. टिन नंबर, पेन कार्ड की प्रति, Indian Charted Accountant institute (ICAI) द्वारा जारी वैध सदस्यता/रजिस्ट्रेशन के प्रमाण–पत्र की प्रति वन मण्डल कार्यालय में निर्धारित दिनांक 27.02.2026 को दोपहर 1:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।**
3. फर्म/व्यक्ति को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नही डाले जाने के संबंध में फर्म/व्यक्ति के लेटर पैड पर घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना उपापन संस्था को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से बोली के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) बोली के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं उपापन संस्था को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
5. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जीएसटी रिटर्न 3B की प्रतिः–** कोई भी बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, माल व सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। माल व सेवाकर संख्या का उल्लेख बोली पर किया जाना चाहिए तथा जीएसटी रिटर्न माह 12/2025 अथवा नवीनतम 3बी की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
6. बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोली आमंत्रण सूचना संख्या 129/2025–26 में वर्णित शर्तों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं तदसंबंधी नियम 2013 की शर्तों को स्वीकार करने की स्वीकारोक्ती हेतु हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। जिन बोलीदाताओं की बोली हस्ताक्षरित नहीं होगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले की ओर से अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की स्थिति में यह प्राधिकार बोली दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ठ लिखित पुष्टी करने में प्रकट होगा और बोली के साथ संलग्न करना होगा।
7. **दरें उप वन संरक्षक, सीकर के अधीनस्थ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य की समस्त करों सहित उद्धृत की जानी चाहिए। वित्तीय बोली निर्धारित वित्तीय बिड प्रारूप में अंकों एवं शब्दों में भरी जानी चाहिए। अन्य किसी**

उप वन संरक्षक

प्रारूप में दी गई दरों को एवं निर्धारित वित्तीय बिड के सभी कॉलमों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं बोली रद्द कर दी जावेगी।

8. अनुमोदित फर्म के लिए यह समझा जाएगा कि उसने किये जाने वाले कार्य की शर्तो आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे उपापन संस्था को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
9. बोलीदाता अपनी बोली को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
10. बोलीदाता द्वारा एकल/साझेदारी फर्म/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रेशन नम्बर की संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. यदि कार्य उपापन की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
12. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
13. **कार्य अवधि** –
    1. बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जाए, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से 30 दिवस के भीतर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों को अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य करना होगा।
    2. यदि उपापन संस्था निविदित्त कार्य या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में कार्य करवाता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
14. **बोली प्रतिभूति राशि** –

(क) सफल बोलीदाता को कार्य की लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति (Security) राशि जमा करानी होगी।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या बोलीओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलीओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

15. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** –बोली प्रतिभूतिराशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा –

(1) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

16. **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति** –

(1) सफल बोलीदाता को दर अनुमोदन सूचना के 03 दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यों के लिए बोलियां स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने से एक माह के भीतर तथा यदि कार्य को सानतर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं हैं, कार्य संपादन राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

उप वन संरक्षक
सीकर

(4) **कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण** –कार्य संपादन की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा –
(क) जब बोली के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया ज़ाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

17. **भुगतान** –(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, कार्य पूर्णता के पश्चात भुगतान बोलीदाता द्वारा उपापन संस्था को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। भुगतान बिलों से नियमानुसार करों (TDS/GST) व अन्य करों की कटौती की जायेगी।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य कार्यादेश में वर्णित अवधि में पूर्ण करने पर ही भुगतान किया जाएगा।

18. **परिसमापित नुकसानी** –

(1) बिड डाक्यूमेंट में लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता विभाग से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर नियत अवधि के भीतर सम्पन्न करेगा।

(2) परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य की अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन कार्यो मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोली दाता प्रदाय करने में असफल रहा है। बिल की राशि में से वसूल की जावेगी।

(I) (क) विहित कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

(II) कार्य में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(III) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(IV) यदि संवेदक किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य करने हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(V) यदि कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा बोली दाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो कार्य करने की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

19. **वसूलियाँ**– परिसमापित नुकसानी के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। संवेदक द्वारा कार्य कम करने की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि संवेदक संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं करता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

20. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. **उपापन संस्था** – किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं/कार्य सम्पादन के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने

उप वन संरक्षक
सीकर

या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा –
(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फार्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर
(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23 रिस्क एण्ड कोस्ट संवेदक द्वारा यदि लेखों के अंकेक्षण का कार्य नहीं किया जाता है, तो यह कार्य किसी अन्य संवेदक से करा लिया जायेगा। जिसके अधिक मूल्य की वसूली संवेदक से की जावेगी।

24. यदि समस्त लिफाफे यथा अपेक्षित मुहरबंद और चिन्हित नहीं किये जाते है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरादायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

25. यदि बोली के निर्वचन आशय या बोली की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा सीकर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

27. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 प्रावधानो के अनुसार बोलीकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

28. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के Section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बिड का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर होंगे।

29. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/– है। द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु फीस राशि रूपये 10000/– रूपये निर्धारित है। यह राशि अप्रतिदेय होगी। फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम से देय होगा।

30. मोनिटरिंग कमेटी को कार्य जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा, तकनीकी जांच के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

31. खुली बोली में दी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।

32 निविदा संबंधी समस्त अधिकार निविदा स्वीकार/अस्वीकार करना आदि, उप वन संरक्षक, सीकर के पास सुरक्षित होंगे।

33. निविदा प्रक्रिया में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

34. निविदादाता को निविदा दस्तावेजों में अपनी फर्म की ईमेल आईडी एवं मोबाइल न. आवश्यक रूप से भरनी होगी।

35. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बधि व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में लेखाकार अथवा क्षेत्रीय वन अधिकारी, से लेकर उप वन संरक्षक स्तर का किसी भी स्तर पर पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

36. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

37. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य संबंधित रेंज कार्यालय (सीकर/लक्ष्मणगढ़/फतेहपुर/नीमकथाना/पाटन/श्रीमाधोपुर/दांता) में करना होगा।

38. तकनिकी बिड के साथ अपलोड दस्तावेजों में निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न किये जावें:–
(1) बोली की शर्ते स्वीकार होने के लिये शर्तों का हस्ताक्षरयुक्त प्रलेख,
(2) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन

उप वन संरक्षक
सीकर

(3) पैन कार्ड की प्रति
(4) माह 12/2025 की नवीनतम जीएसटी रिटर्न 3बी की प्रति।
(5) एस.आर.–11 की प्रति।
(6) किसी भी राजकीय विभाग में काली सूची में नही डाले जाने का फर्म के लेटर पेड पर घोषणा पत्र।
(7) Indian Charted Accountant institute (ICAI) द्वारा जारी वैध सदस्यता/रजिस्ट्रेशन के प्रमाण–पत्र की प्रति

39. इस वन मण्डल के अधीनस्थ कार्यरत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों की संख्या निम्नानुसार है:–

क. सं.	नाम रेंज	VFPMC की संख्या
1	फतेहपुर	12
2	नीमकाथाना	18
3	दांता	14
4	सीकर	17
5	लक्ष्मणगढ़	10
6	श्रीमाधोपुर	21
7	पाटन	14
	कुल योग	**106**

उपरोक्त शर्तो के अलावा सा.वि.ले.नि., लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं तत्संबंधी नियमों की शर्ते भी मान्य होगी। यदि उक्त शर्तो में सा.वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत कोई विसंगति पाई गई तो सा.वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की शर्ते मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

एस.आर प्रारूप–11

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

देखिये नियम 48 (vii)

निविदा सूचना संख्या 129/2025–26

मैं/ हम घोषणा करता हूं/करते है कि मै/हम Indian Charted Accountant institute (ICAI) द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसकी सदस्यता का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई हैं, उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती हैं तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया हैं, को रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

उप वन संरक्षक
सीकर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

वित्तीय बिड

निविदा संख्याः– 129 / 2025–26

कार्य का नाम– **वन मण्डल के अधीनस्थ अधीनस्थ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का कार्य।**

अनुमानित लागत राशि– 2.65 लाख

निविदा शुल्क– 500 / –

S.N.	कार्य का नाम	Number of VFPMC	फर्म द्वारा प्रस्तुत दर प्रति VFPMC (समस्त करों सहित)	Total Amount
1.	**वन मण्डल के अधीनस्थ अधीनस्थ ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन दाखिल करने का कार्य**	106		

कुल राशि (अंकों में)..शब्दों में..

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम एवं पूर्ण पता